IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, September 2025
Impact Factor: 7.67

जंगल सत्याग्रह और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिका

राहुल तिवारी
शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)
डॉ. संजय कुमार मिश्र
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), एस. आर. पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय हनुमना मऊगंज (म.प्र.)

शोध सारांश:

देश के राष्ट्रीय आंदोलन में जंगल सत्याग्रह का विशेष योगदान है। जो ब्रिटिश वन नीतियों के विरोध में जनजातीय क्षेत्रों में सम्पन्न हुआ। मध्य भारत में नमक निर्माण एक महंगी प्रक्रिया भी इसलिए जंगल सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के समानांतर विभिन्न वन क्षेत्रों में हुआ। इस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों का उल्लेखनीय योगदान रहा जिन्होंने विदर्भ के विभिन्न क्षेत्रों में सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह में स्थानीय जनजातियों व किसानों ने भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। जंगल सत्याग्रह में भाग लेने का निर्णय डॉ. हेडगेवार और अप्प जी जोशी द्वारा लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्वयं सेवकों के नेतृत्व में कई स्थानों पर जंगल सत्याग्रह सम्पन्न हुए।

मुख्य शब्द: जंगल सत्याग्रह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्वयं सेवक, जनजाति, डॉ. हेडगेवार, अप्पाजी जोशी विदर्भ।

प्रस्तावना:

देश की स्वतंत्रता के 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम के अल्पज्ञात आंदोलन का लेखा–जोखा स्वाभाविक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। ऐसे में यह प्रश्न बार–बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में संघ का क्या योगदान रहा है? इस दृष्टि से स्वतंत्रता संग्राम के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सम्पन्न हुए जंगल सत्याग्रह के माध्यम से संघ के संबंधों का अवलोकन अत्यंत प्रासंगिक होगा। प्रस्तुत शोध पत्र में जंगल सत्याग्रह में संघ की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है जिसमें ऐतिहासिक अध्ययन, सर्वेक्षण एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है।

जंगल सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अल्पज्ञान एवं महत्वपूर्ण आंदोलन है। यद्यपि इसकी प्रेरणा गांधी जी के नमक सत्याग्रह से ही ली गई है। यह आंदोलन नमक सत्याग्रह के समानांतर मध्य भारत के काफी बड़े भू–भाग में हुआ था। ब्रिटिशों ने अपनी औपनिवेशिक नीति लागू करने के क्रम में समय–समय पर वन कानून लागू किये जिससे वनों से आदिवासियों का नेसर्गिक अधिकार समाप्त हो गया। जीविका जुटाने के सभी रास्ते बंद हो गये। इससे आदिवासी असंतोष चरम पर पहुँच गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य भारत नमक बनाना एक महंगी प्रक्रिया थी, इसीलिए मध्य भारत में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 9 मार्च 1930 को सेठ गोविंद दास, पं. रविशंकर शुक्ल तथा द्वारिका प्रसाद मिश्र ने महात्मा गांधी से दांडी यात्रा के दौरान जम्मूसर में भेंट की तथा वन सत्याग्रह की अनुमति मांगी, किन्तु पूर्ण जानकारी से अनभिज्ञ होने के कारण गांधी जी ने उनसे इस संबंध में पं. मोतीलाल नेहरू से सम्पर्क करने को कहा तथा मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के द्वारा निर्देशित सिद्धांतों के अनुरूप उन्हें अनुमति प्रदान की।[1]

जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ सर्वप्रथम सी.पी. एवं बरार में हुआ। द्वारिका प्रसाद मिश्र स्वयं लिखते हैं कि यद्यपि मैं जंगल सत्याग्रह का मूल प्रवर्तक और मोतीलाल नेहरू से स्वीकृत प्राप्त करने में सफल हुआ था, लेकिन मेरी गिरफ्तारी (29.04.1930) ने

DOI: 10.48175/IJARSCT-29045

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, September 2025 Impact Factor: 7.67

मुझे उसका श्री गणेश करने नहीं दिया। 10 जुलाई को उसका प्रारम्भ करने का सौभाग्य एम.एस. अणे को प्राप्त हुआ।[2] सी.पी. और बरार क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह में राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की महती भूमिका थी। डॉ. हेडगेवार तथा अप्पा जी वर्धा तथा चांदा जिले में सम्पन्न हुए जंगल सत्याग्रह के मुख्य सूत्रधार थे। जंगल सत्याग्रह में विचारपूर्वक सहभागी होने के अपने निर्णय की सूचना अप्पाजी ने फरवरी 1930 में डॉ. हेडगेवार को पत्र लिखकर दी। इसके उत्तर में डॉ. हेडगेवार ने कहा कि संघ का प्रशिक्षण वर्ग समाप्त होने के बाद इस बारे में सोचा जाएगा। वर्ग समाप्ति के बाद अप्पाजी ने पुनः पूछा। अप्पाजी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए डॉ. हेडगेवार ने तुरंत स्वीकृत नहीं दी। हालाँकि अप्पाजी द्वारा पुनः पत्र लिखने पर डॉक्टर जी ने स्वीकृति दे दी। तब दोनों ने मिलकर सत्याग्रह हेतु जाने का विचार किया।[3]

जंगल सत्याग्रह में भाग लेने का निर्णय डॉ. हेडगेवार और अप्पाजी जोशी ने तो लिया, लेकिन प्रश्न था डॉ. हेडगेवार द्वारा निर्मित संघ की भूमिका का। हेडगेवार चाहते थे कि देशहित की किसी भी गतिविधि में सहभागी होते समय संघ अपनी संगठनात्मक पहचान के साथ नहीं, बल्कि हिन्दू समाज के एक घटक के रूप में प्रस्तुत हो यही उनका आग्रह था। इस बात की पुष्टि डॉ. हेडगेवार द्वारा 20 जून 1930 को स्वयंसेवकों के नाम जारी एक पत्रक से होती है ''हमेशा पूछा जाता है कि वर्तमान आंदोलन को लेकर संघ की नीति क्या है? अभी तक संघ ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि वह एक संगठन के रूप में वर्तमान आंदोलन में सहभागी होगा। व्यक्तिगत रूप से जिस किसी भी स्वयं सेवक को इसमें सहभागी होना है, वह संघचालक की अनुमति लेकर सहभागी हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसे वही काम करना चाहिए, जो संघ कार्य पद्धति के अनुरूप हो।[4] अर्थात् स्वयं सेवक व्यक्तिगत स्तर पर जंगल सत्याग्रह में शामिल व उसका नेतृत्व कर सकते थे।

सत्याग्रह हेतु जाने से पूर्व डॉ. हेडगेवार ने 20 जून 1930 को स्वयंसेवकों के नाम जारी अपने पत्र में डॉ. हेडगेवार ने लिखा ''वर्धा के जिलाधिकारी अप्पाजी जोशी, नागपुर के प्रमुख संघ कार्यकर्ता परमार्थ और देव, चांदा के प्रमुख संघ कार्यकर्ता वेखंडे, खरोटे एवं पालेवार, आर्वी संघ चालक नानाजी देशपांडे के साथ मैं सत्याग्रह में शामिल होने के लिए बरार स्थित पुसद जा रहा हूँ। इसलिए संघ के संचालन का दायित्व नागपुर के डॉ. परांजये को सौंपा जाना है। इस पत्रक के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्था के रूप में संघ चाहे सत्याग्रह से अलग रहा हो किन्तु इसे चलाने वाले स्वयंसेवकों ने जंगल सत्याग्रह ने महती भूमिका निभायी।

बरार में जंगल सत्याग्रह का प्रारंभः

देश में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ करने का सौभाग्य स्वयंसेवक को ही प्राप्त हुआ। दिनांक 10 जुलाई 1930 को श्री बापूजी अणे के नेतृत्व में ग्यारह सत्याग्राहियों की टोली ने पुसद के समीप जंगल में घास काटकर जंगल सत्याग्रह किया जिससे बापूजी अणे को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत छह माह के साधारण कारावास की सजा हुई। इसी प्रकार दूसरे दिन डॉ. मुंजे पर पाँच रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया, परन्तु देने से इंकार कर देने के कारण उन्हें न्यायालय की उस दिन की कार्य समाप्ति तक न्यायालय में खड़े रहने का दण्ड दिया गया। स्थानीय सत्याग्रह समिति के अनुरोध पर डॉ. मुंजे ने अगले दिन 12 जून 1930 को पुनः सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस बार उन पर 10 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया, परन्तु वह दण्ड देने से इंकार करने पर उन्हें एक सप्ताह के कारावास का दण्ड दिया गया।[5]

डॉ. हेडगेवार ने जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए 12 जुलाई 1930 को अपने संगठन का नेतृत्व त्याग दिया। जंगल सत्याग्रह के लिए डॉ. हेडगेवार की टोली में कुल बारह सत्याग्राही थे। डॉ. हेडगेवार के नेतृत्व में यह सत्याग्रही टोली 14 जुलाई 1930 को नागपुर रेलवे स्टेशन से पुसद (यवतमाल जिला) के लिए निकली। स्टेशन पर उनकी विदाई हेतु 200—300 लोग

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, September 2025 Impact Factor: 7.67

मौजूद थे जिनके समक्ष डॉ. हेडगेवार ने भाषण देते हुए कहा, ''वर्तमान आंदोलन ही स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई है तथा स्वतंत्रता मिल जाएगी इस भ्रम में मत रहिए। इसके आगे असली लड़ाई लड़नी है तथा उसमें सर्वस्व की बाजी लगाकर कूदने की तैयारी करो। 15 जुलाई 1930 को यह मंडली वर्धा में पहुँची। स्थानीय लोगों द्वारा एक शोभायात्रा निकालकर मंडली का स्वागत किया गया। वर्धा के बाद इत्यादि स्थानों पर सम्मान स्वीकार करते हुए यह मंडली पुसद पहुँची।[6] 19 जुलाई 1930 को लक्ष्मण राव ओक की अध्यक्षता में यवतमाल में एक अन्य जनसभा का आयोजन किया गया। यहाँ यवतमाल जिला युद्ध मंडल की ओर से टी. एस. बापट ने आगे का सत्याग्रह पुसद के स्थान पर यवतमाल से चार मील की दूरी पर धामणगाँव रास्ते के निकट जंगल में करने की घोषणा की। 21 जुलाई 1930 से 21 दिन के इस सत्याग्रह की शुरूआत डॉ. हेडगेवार के हाथों से होगी ऐसी घोषणा की गई।[7]

21 जुलाई 1930 को यवतमाल में जंगल कानून तोड़ने के आरोप में अंग्रेजी सरकार द्वारा डॉ. हेडगेवार और अन्य 11 सत्याग्राहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 'केसरी' ने इस घटना का वर्णन 26 जुलाई 1930 के अपने अंक में इस प्रकार किया है, ''यवतमाल में 21 तारीख को अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। डॉ. मुंजे के पथक में शामिल होने की तैयारी से नागपुर से पधारे डॉ. हेडगेवार, ढलवे आदि लोगों ने बारह लोगों का अपना एक स्वतंत्र पथक तैयार कर पहले दिन ही कानून भंग किया। पुसद की तुलना में यह गाँव बड़ा होने के कारण यहाँ 10 से 12 हजार का जनसमूह एकत्रित हुआ। यह स्थान पुसद से 4 मील 2 फर्लांग की दूरी पर एक पहाड़ी की तलहटी में है। पाँच–पाँच साल के बच्चों से लेकर 70 से 75 वर्ष के पुरुष एवं महिलाएँ और अनेक स्त्रियाँ अपने कंधों पर नन्हें बच्चे लिए पैदल चलकर इस पावन क्षेत्र में आई। डॉ. हेडगेवार ने अपने 11 पथक के साथ जब कानून भंग किया तब महात्मा गाँधी की जय! स्वतंत्रता देवी की जय! इत्यादि गर्जनाओं से सारा जंगल दहल उठा।''

'केसरी' ने आगे लिखा, ''कानून की अवज्ञा करने वाले वीरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कारागार के एक कमरे में मुकदमा चलाया गया। धारा 117 तथा धारा 279 के तहत आरोप प्रत्यारोपित कर डॉ. हेडगेवार को क्रमशः छह और तीन माह यानि कुल नौ माह का सश्रम कारावास सुनाया गया। वहीं ग्यारह सत्याग्रहियों में प्रत्येक को धारा 379 के तहत चार महीनों के सश्रम कारावास का दण्ड सुनाया गया। इन सभी को तुरंत अकोला कारागार ले जाया गया।'' एक बंदी के रूप में यवतमाल से अकोला जाते समय जगह–जगह डॉ. हेडगेवार का सत्कार और जय–जयकार होता रहा।

इसके पश्चात् गोविन्द शास्त्री जोगलेकर, रामचन्द्र, बलवन्त जोशी तथा गंगाधर हिवरीकर के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुए। उन सबको भी कारावास का दण्ड दिया गया। अमरावती जिला युद्ध समिति के अध्यक्ष डॉ. भोजराज ने वडाली के जंगल में सत्याग्रह किया। उन्हें उनके दल सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वडाली में सात दिनों तक लगातार भिन्न–भिन्न दलों द्वारा जंगल सत्याग्रह चलता रहा।[8] सत्याग्रह के इस नवीन स्वरूप को जनजातीय जनों ने खूब पसन्द किया और उन्होंने इसमें बढ़–चढ़कर भाग लिया।

मराठी प्रान्त के नागपुर में सबसे पहले पूनमचंद रांका द्वारा आर्वी तहसील के तलगाँव नामक स्थल पर 24 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह करना सुनिश्चित हुआ। परन्तु 22 जुलाई को ही पूनम चंद रांका गिरफ्तार कर लिये गये।[9] इस घटना पर प्रकाश डालते हुए डी.पी. मिश्र लिखते हैं ''सत्याग्राहियों के पहले जत्थे का नेतृत्व गणपतराव टिकेकर ने किया जिन्होंने 28 स्वयंसेवकों के साथ 24 जुलाई को नागपुर प्रस्थान किया और पैदल यात्रा करते हुए गोंड़खेरी, बाजार गाँव आदि स्थानों में ठहरते हुए 31 जुलाई को सायंकाल अपने शिविर में पहुँचे।

1 अगस्त को प्रातः 4 बजकर 40 मिनट पर स्वयंसेवकों ने स्नान किया और वे निकटवर्ती पहाड़ पर स्थित एक मंदिर में दर्शनार्थ गये। हजारों दर्शकों की भीड़ सत्याग्रह देखने के लिए उस स्थान पर एकत्र हो गई। स्वयंसेवकों का चल समारोह

DOI: 10.48175/IJARSCT-29045

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, September 2025 Impact Factor: 7.67

प्रातःकाल 8 बजे जंगल की सीमा पर पहुँच गया और उन्होंने वहाँ उपस्थित अधिकारियों को कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव क्रमांक 6 दिया जिसमें शासकीय कर्मचारियों को कहा गया था कि वे विदेशी सरकार की सेवा त्याग दें। अधिकारियों ने उत्तर में स्वयंसेवकों से पूछा कि क्या उन्होंने शासकीय वन में प्रवेश के पूर्व अनुमति प्राप्त की है? उत्तर निःसंदेह नकारात्मक था। इसके पश्चात् स्वयंसेवक जंगल में घुस गये और घास काटना प्रारंभ कर दिया। समस्त घाटी नारों से गूँज उठी और जैसे ही स्वयं सेवक लौटे, उनके जत्थे गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें पुलिस वाहन में भेज दिया गया। इस घटना में कुल मिलाकर 500 स्वयंसेवक गिरफ्तार किये गये।[10] गणपतराव टिकेकर की गिरफ्तारी के पश्चात् उनके स्थान पर पाण्डुरंग ने सत्याग्राहियों के अगले जत्थे का नेतृत्व किया।

इसी प्रकार जगह–जगह पर स्वयंसेवकों ने जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया। स्वयंसेवकों द्वारा आर्वी (वर्धा), आंजी (वर्धा), चिमूर (चांदा) नागरी (चांदा), पवनार (वर्धा), मेहकर (बुलढाणा), सालोड (वर्धा) सिंदी (वर्धा), हिंगणी (वर्धा) आदि स्थानों पर शान्तिपूर्वक अहिंसक तरीके से जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया गया, जो गाँधी जी द्वारा निर्देशित सिद्धांतों के अनुरूप था।

निष्कर्षः

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जंगल सत्याग्रह में स्वयं सेवक संघ की एक संस्था के रूप में भूमिका चाहे शून्य ही रही हो किन्तु संघ के हजारों स्वयं सेवक व्यक्तिगत रूप से जंगल सत्याग्रह में शामिल होकर उसका नेतृत्व भी किया। संघ के बड़े पदाधिकारी एवं इस आंदोलन में शामिल थे। संघ को संस्था के रूप में इस आंदोलन से दूर रखा गया जिससे संघ के कार्य प्रभावित न हो।

संघ की विचारधारा और कार्य पद्धति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया और न तो किसी स्वयंसेवक की संघ पर श्रद्धा डिगी जबकि स्वयंसेवकों का मानना था कि देश में जितने आंदोलन चलते हैं उनका अंतर्बाह्य ज्ञान प्राप्त करना तथा उनका उपयोग अपने कार्य के लिए कर लेना देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील किसी भी संस्था का कर्तव्य है।

स्वयं सेवकों ने वन कानून के विरुद्ध जनजातीय व किसानों के स्वर को एकजुट करने का काम किया जिससे बरार के जनजातीय क्षेत्र भी राष्ट्रीय चेतना के केन्द्र बन गये। जो सत्याग्रह के दौरान हजारों की संख्या में सत्याग्रह में शामिल होकर ब्रिटिश नीति का विरोध किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. मिश्रा डी.पी., म.प्र. में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, स्वराज संस्थान संचालानालय संस्कृति विभाग, भोपाल 2002, पृष्ठ क्र. 350
2. तिवारी सीमा, मध्य प्रांत और बरार में भारत छोड़ो आन्दोलन का अध्ययन (शोध प्रबन्ध), रानी दुर्गावती विश्व वि., जबलपुर, पृष्ठ क्र. 14
3. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अभिलेखागार, हेडगेवार प्रलेख
4. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अभिलेखागार, हेडगेवार प्रलेख, Dr. Hedgewar letters cleaned, 1930 जुलाई
5. चौधरी, के.के. सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट अप्रैल–सितंबर 1930, खण्ड 9, गैजेटियर्स डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र सरकार 1990, पृ0क्र0 980
6. केसरी, 22 जुलाई 1930

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, September 2025 Impact Factor: 7.67

7. चौधरी, के.के., सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट अप्रैल—सितंबर 1930, खण्ड 9, गैजेटियर्स डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र सरकार 1990, पृ0क्र0 998
8. अग्रवाल, गिरिजा शंकर, गौंडी पब्लिक ट्रस्ट मण्डला, 28.05.2009 साक्षात्कार के आधार पर
9. शुक्ल अभिनन्दन, ग्रंथ, इतिहास खण्ड, म.प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन नागपुर, 1955, पृ0क्र0 155

मिश्रा डी.पी., म.प्र. में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग, भोपाल, 2002 पृ0क्र0 404—405